**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 765**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**बाल विवाह की रोकथाम**

1. **श्री रामचन्द्र खूंटिआ :**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि हमारे देश के कुछ राज्यों में बाल-विवाह निषेध के लिए कानून है ; और

(ख) : क्या बाल-विवाह को हतोत्साहित करने वाले कानून का प्रयोग असहाय तलाकशुदा महिलाओं को सिविल सेवा प्राप्त करने से रोकने के लिए किया जा सकता है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(क) : सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पी.सी.एम.ए.) 2006 पारित किया है, जो जम्‍मू व कश्‍मीर राज्‍य के अलावा सभी राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों पर लागू होता है । यह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर भारत में तथा भारत के बाहर लागू होता है ।**

**(ख) : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, प्रत्‍येक बाल विवाह को किसी भी पक्ष के विकल्‍प पर जो विवाह के समय बालक था, वयस्‍कता की आयु प्राप्‍त करने के दो वर्ष के भीतर निरस्‍त किया जा सकता है । सिविल सेवाओं में प्रवेश वैवाहिक स्‍थिति को ध्‍यान में न रखते हुए पात्र आयु एवं योग्‍यता वाले सभी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए खुला हुआ है ।**

**\*\*\*\*\*\***